प्रेस नोट इटावा पुलिस दिनांक- 10.07.2025

#OPERATION CONVICTION

इटावा पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते आज दिनांक 10.07.2025 को 02 अभियोगों मे सजा करायी गयी है।

1. थाना भरथना

इटावा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये 02 अभियुक्तों को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा आजीवन कारावास एवं 25,000-25,000 /- रूपये के अर्थदंड से दण्डित कराया गया।

जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही कराये जाने तथा मा0 न्यायालय से दण्डित कराये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में थाना भरथना, मानीटरिंग सैल/सम्मन सैल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये 02 अभियुक्तों को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा आजीवन कारावास एवं 25,000-25,000 /- रूपये के अर्थदंड से दण्डित कराया गया।।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 09.04.2012 को अभियुक्तगणों द्वारा रंजिश को लेकर वादिनी के पुत्र कमलेश कुमार को तमंचे से गोली मारकर हत्या कर देना एवं प्रताड़ित कर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने के संबंध में थाना भरथना पर वादिनी की तहरीर पर **मु0अ0सं0 187/12 धारा 302/34/506 भादवि व 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट** पंजीकृत किया गया।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा इस प्रकरण मे सतत निगरानी बनाये रखते हुये दिये गये निर्देशानुसार अभियोग के गवाहों को थाना भरथना पुलिस टीम, पैरोकार का0 संजय साहू एवं मानीटरिंग/सम्मन सैल टीम व एडीजीसी श्री रमाकान्त चतुर्वेदी द्वारा नियत तिथियों पर प्रस्तुत करते हुये व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष पेश करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी। जिसके परिणामस्वरुप अभियुक्तों को आज दिनांक 10.07.2025 को अन्तर्गत **धारा 302/506/34 भादवि व 3(2)(5)Sc/St एक्ट में मा0 न्यायालय एडीजे/स्पे0 जज SC/ST एक्ट जनपद इटावा द्वारा आजीवन कारावास एवं 25,000-25,000 /- रूपये के अर्थदंड से दण्डित कराया गया।**

सजायाफ्ता अपराधी-

1. **बल्लो खां पुत्र गुलाब खां निवासी ग्राम बेर थाना भरथना जनपद इटावा।**
2. **मुन्ना खां पुत्र गुलाब खां निवासी ग्राम बेर थाना भरथना जनपद इटावा।**

2. थाना जसवंतनगर

इटावा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये 01 अभियुक्त को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा आजीवन कारावास एवं 20,000 /- रूपये के अर्थदंड से दण्डित कराया गया।

जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही कराये जाने तथा मा0 न्यायालय से दण्डित कराये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में थाना जसवंतनगर, मानीटरिंग सैल/सम्मन सैल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये 01 अभियुक्त को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा आजीवन कारावास एवं 20,000 /- रूपये के अर्थदंड से दण्डित कराया गया।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 05.07.2021 को वादी सुरेशचन्द्र पुत्र स्व0 श्रीपाल भुर्जी निवासी रतवा थाना गिरोर जनपद मैनपुरी की तहरीर पर थाना जसवंतनगर पर **मु0अ0सं0 274/2021 धारा 498ए/304बी/302 भादवि व 3/4 डीपी एक्ट** पंजीकृत किया गया।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा इस प्रकरण मे सतत निगरानी बनाये रखते हुये दिये गये निर्देशानुसार अभियोग के गवाहों को थाना जसवंतनगर पुलिस टीम, पैरोकार का0 पिन्टू सिंह एवं मानीटरिंग/सम्मन सैल टीम व एडीजीसी श्री देवेन्द्र तिवारी द्वारा नियत तिथियों पर प्रस्तुत करते हुये व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष पेश करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी। जिसके परिणामस्वरुप अभियुक्त को आज दिनांक 10.07.2025 को अन्तर्गत **धारा 302 भादवि में मा0 न्यायालय एडीजे/एफटीसी-1 जनपद इटावा द्वारा आजीवन कारावास एवं 20,000 /- रूपये के अर्थदंड से दण्डित कराया गया।**

सजायाफ्ता अपराधी-

1. **संजय पुत्र चन्द्रमोहन निवासी धौलपुर खेड़ा थाना जसवंतनगर जनपद इटावा।**